न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :–126/2016 निर्णय दिनांक :– 11.03.2022

1. रामनारायण पुत्र श्री छोगा जाति बैरवा उम्र 60 वर्ष निवासी गोविन्दपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
2. बदाम पुत्री श्री छोगा जाति बैरवा उम्र 60 वर्ष निवासी गोविन्दपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
3. छोटी पत्नी श्री छोगा जाति बैरवा उम्र 60 वर्ष निवासी गोविन्दपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थी–

–बनाम–

तहसीलदार देवली जिला टोंक राजस्थान।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खाता नम्बर 78 खसरा नम्बर 333 रकबा 1.90 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.90 है0 वाके तनग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज. में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पहले अड़वा राजकीय सिवायचक भूमि आराजी खाता नं. 1 ख. नं. 329 रकबा 0.51 है0 वाके तनग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में से ही होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में आता–जाता है तथा काश्तकारी कार्य करता है लेकिन विधिवत रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त सिवायचक भूमि में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने –जाने उपयोग–उपभोग करने हेतु उक्त अप्रार्थी की भूमि में से रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थी के पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में पहुंचने के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई, चौड़ाई ख. नं. 329 में 104 X 5 =520 वर्गमीटर होगी। चाहे जाने वाले रास्ते की डीएलसी दर 390864 रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसकी एक गुना राशि 20325 /– व दुगनी प्रतिकर राशि 40650/–रूपये है। प्रार्थी ख. नं. 329 में से रास्ता चाहता है जिसको नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रस्तावित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते मे कोई संरचना व पेड पौध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता सिवायचक है यदि प्रार्थी को अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही सिवायचक भूमि में से रास्ता दिया जा सकता है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मय राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस की दो प्रति और डीएलसी दर की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम आदेश हेतु सादर प्रेषित है। पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि कैम्प 17.05.2016 को निर्णय कर अप्रार्थी तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर नियुक्त कर प्रार्थी को तत्समय की डीएलसी दर से दुगनी राशि जमा करवाने हेतु आदेशिका पर निर्णय लिखा गया था परन्तु प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाने के कारण अन्तिम निर्णय पारित नहीं हो सका। तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी के पास उसकी आराजी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है और प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थी को अपने आराजी में पहुंचने हेतु सरकार से सिवायचक भूमि से रिकॉर्डेड रास्ता चाहिए ताकि प्रार्थी अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सके और कृषि कार्य कर सके। प्रार्थी इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थी को

अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि रिपोर्ट के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार व अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। खाता नम्बर 78 खसरा नम्बर 333 रकबा 1.90 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.90 है0 वाके तनग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का थांवला तहसील देवली प्रार्थी की भूमि से पूर्व सिवायचक भूमि ख. नं. 329 रकबा 0.51 है0 वाके तनग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का थांवला है, जिसमें से प्रार्थी रास्ता चाहता है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता अत्यन्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता जिसकी चौड़ाई 5 मीटर एवं लम्बाई 104 मीटर अर्थात 520 वर्गमीटर क्षैत्रफल के रास्ते की तरमीम प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 40650/– अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली